उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव
Uma Shankar Singh, I.A.S.
Secretary

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची
School Education & Literacy Department
Government of Jharkhand, Ranchi

पत्रांक:VOC/68/JEPC/03/2025/ 2115 दिनांक 22.05.2026

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, झारखण्ड।

विषय : विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों, **ToFEI** अनुपालन तथा दो सप्ताह का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) से प्राप्त आग्रह पत्र दिनांक 13.05.2026 के आलोक में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबध में अंकित करना है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 का विषय **"Unmasking the Appeal: Countering Nicotine and Tobacco Addiction"** निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर्ड उत्पादों, ई-सिगरेट, निकोटीन पाउच तथा अन्य नये निकोटीन उत्पादों के माध्यम से होने वाले तम्बाकू/निकोटीन आकर्षण और लत से बचाना है।

झारखण्ड में तम्बाकू नियंत्रण को शैक्षणिक संस्थानों से प्रभावी रूप से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। GATS-2, 2016-17 के अनुसार राज्य में 38.9 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। GYTS-4, 2019 के अनुसार झारखण्ड में 13-15 आयु वर्ग के 5.1 प्रतिशत विद्यार्थी वर्तमान में किसी न किसी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं, जिनमें 3.6 प्रतिशत धूम्रपान उत्पाद तथा 2.7 प्रतिशत धूम्ररहित तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। इसी सर्वेक्षण में 6.7 प्रतिशत विद्यार्थियों ने घर में, 17.6 प्रतिशत ने बंद सार्वजनिक स्थानों में तथा 19.7 प्रतिशत ने खुले सार्वजनिक स्थानों में परोक्ष धूम्रपान के संपर्क की सूचना दी है।

GYTS-4 के विद्यालय-आधारित अवलोकन में झारखण्ड के 76.7 प्रतिशत विद्यालयों में परिसर/प्रवेश द्वार/100 गज की परिधि में तम्बाकू उपयोग के संकेत पाए गए। निकोटीन बच्चों एवं किशोरों में लत, सीखने की क्षमता, ध्यान, व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। परोक्ष धूम्रपान का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है तथा यह बच्चों में श्वसन एवं अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाता है। अतः विद्यालयों के भीतर और आसपास तम्बाकू नियंत्रण, जागरूकता तथा प्रवर्तन को प्राथमिकता से लागू किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 11 जून से 18 जून, 2026 तक अपने जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी एवं आवासीय विद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में निम्नलिखित गतिविधियों को जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड तथा विद्यालय स्तर पर समयबद्ध रूप से अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे :

1. <u>जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर तैयारी</u>

(क) जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर निकाय तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करेंगे।

(ख) प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/बी.पी.ओ./बी.आर.पी./सी.आर.पी. को नोडल दायित्व देते हुए विद्यालयवार कार्ययोजना तैयार कराई जाए।

(ग) सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निदेश दिया जाए कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर विशेष सभा/शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कर

Scanned with OKEN Scanner

उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव
Uma Shankar Singh, I.A.S.
Secretary

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची
School Education & Literacy Department
Government of Jharkhand, Ranchi

विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

2. **विद्यालय स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियां**

(क) प्रत्येक विद्यालय में तम्बाकू निषेध शपथ, प्रभात फेरी/रैली, निबंध, वाद–विवाद, क्विज, चित्रकला/पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, समूह चर्चा तथा विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएं।

(ख) बाल संसद, इको क्लब, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्लब, स्काउट–गाइड/एन.सी.सी./एन.एस.एस. तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ा जाए।

(ग) विद्यार्थियों को तम्बाकू, ई–सिगरेट, निकोटीन पाउच, गुटखा, खैनी, पान मसाला सहित सभी निकोटीन/तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों की जानकारी सरल भाषा में दी जाए।

(घ) किसी विद्यार्थी या कर्मी में तम्बाकू उपयोग की सूचना मिलने पर दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर परामर्श, अभिभावक संवाद तथा स्वास्थ्य विभाग/तम्बाकू निवारण केन्द्र से आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

3. **ToFEI अनुपालन एवं विद्यालय परिसर को तम्बाकू–मुक्त बनाना**

(क) सभी विद्यालयों में ''तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान'' का बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार/सीमा दीवार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

(ख) विद्यालय परिसर में तम्बाकू उपयोग, बिक्री, भंडारण, विज्ञापन, प्रचार–सामग्री, खाली पाउच/पैकेट, बीड़ी/सिगरेट के टुकड़े आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहें।

(ग) विद्यालय प्रधान द्वारा ToFEI चेकलिस्ट के आधार पर स्व–मूल्यांकन किया जाए तथा विद्यालय स्तर पर एक नोडल शिक्षक नामित किया जाए।

(घ) विद्यालय के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री/विज्ञापन पाए जाने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रवर्तन दल को सूचित किया जाए।

4. **विशेष प्रवर्तन अभियान**

(क) दिनांक 11 जून से 18 जून, 2026 तक सभी जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाए।

(ख) यह अभियान जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के समन्वय से संचालित किया जाए।

(ग) COTPA, 2003 की धारा 4, 5, 6(क) एवं 6(ख), COTPA झारखण्ड संशोधन अधिनियम, 2021 तथा लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(घ) विद्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पादों, ई–सिगरेट, निकोटीन पाउच तथा अन्य प्रतिबंधित/हानिकारक निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए।

(ड.) प्रवर्तन के दौरान दुकानों की सूची, चेतावनी, चालान, हटाए गए विक्रय केन्द्र, जब्ती/अन्य कार्रवाई तथा फोटोग्राफिक साक्ष्य का रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

5. **प्रतिवेदन एवं अनुश्रवण**

(क) सभी विद्यालय प्रधान गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट, फोटो तथा प्रतिभागियों की संख्या संबंधित प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

(ख) प्रखण्ड स्तर से संकलित प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाए।

(ग) जिला स्तर से समेकित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में 22 जून, 2026 तक राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची को उपलब्ध कराया जाए, ताकि राज्य स्तर से भारत सरकार को समेकित प्रतिवेदन समय पर भेजा जा सके।

(घ) जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठकों में अभियान की प्रगति, ToFEI अनुपालन तथा प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए।

MDI Building, HEC Campus, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand (India) 834004
Ph. No.- 0651-2400797 (O) 0651-2400751 (Fax)
Email-hrdjharkhand@gmail.com. edu.jharkhand@gov.in

Scanned with OKEN Scanner

उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव
Uma Shankar Singh, I.A.S.
Secretary

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची
School Education & Literacy Department
Government of Jharkhand, Ranchi

अतएव सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अभियान केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक विद्यालय को सुरक्षित, स्वस्थ और तम्बाकू-मुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई के रूप में लागू हो।

इसे अत्यंत आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,
21/05/26

अनुलग्नक : यथोक्त।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : VOC/68/JEPC/03/2025/2115 रांची, दिनांक : 22.05.2026

प्रतिलिपि :

1. सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रवर्तन दलों के समन्वय तथा अभियान की समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
2. सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।
3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सहयोग हेतु प्रेषित।
4. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं प्रतिवेदन संकलन हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) को सूचनार्थ एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

21/05/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव
Uma Shankar Singh, I.A.S.
Secretary

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची
School Education & Literacy Department
Government of Jharkhand, Ranchi

संलग्नक – 1

जिला स्तरीय समेकित प्रतिवेदन प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	संख्या	टिप्पणी
1.	कुल विद्यालयों की संख्या		
2.	अभियान में शामिल विद्यालयों की संख्या		
3.	शपथ/विशेष सभा आयोजित करने वाले विद्यालयों की संख्या		
4.	रैली/प्रतियोगिता/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाले विद्यालयों की संख्या		
5.	ToFEI बोर्ड प्रदर्शित करने वाले विद्यालयों की संख्या		
6.	ToFEI चेकलिस्ट/स्व–मूल्यांकन पूर्ण करने वाले विद्यालयों की संख्या		
7.	100 मीटर परिधि में निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		
8.	विद्यालयों के आसपास चिह्नित तम्बाकू विक्रय केन्द्रों की संख्या		
9.	हटाए गए/चालान किए गए विक्रय केन्द्रों की संख्या		
10	ई–सिगरेट/निकोटीन पाउच/अन्य प्रतिबंधित उत्पादों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों की संख्या		

नोट : जिला प्रतिवेदन में कम से कम 5–10 स्पष्ट फोटो, प्रवर्तन कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण, परामर्श/संदर्भित विद्यार्थी/कर्मी, यदि कोई हो तथा संबंधित आदेश/बैठक/मीडिया क्लिपिंग उपलब्ध कराई जाए।

MDI Building, HEC Campus, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand (India) 834004
Ph. No.- 0651-2400797 (O) 0651-2400751 (Fax)
Email-hrdjharkhand@gmail.com. edu.jharkhand@gov.in

Scanned with OKEN Scanner

Socio Economic and Educational Development Society

(A Society registered under Societies Registration Act XXI of 1860)

Geeta Niwas, Upkar Nagar, Near DAV Kapil Dev School, Kadru, Ranchi - 834002
Phone : +91-651-4659640, E-mail : seedsjharkhand@gmail.com

289

13 May 2026

SPD, JEPC
put up for necessary Action
14/05/26

To
Shri Uma Shankar Singh, IAS
Secretary
Department of School Education and Literacy
Government of Jharkhand
Ranchi, Jharkhand

Subject: Commemoration of World No Tobacco Day 2026 through Tobacco Control Activities and Special Enforcement Drive in Educational Institutions

Dear Sir,

Greetings from SEEDS.

With due respect, we wish to draw your kind attention to the observance of **World No Tobacco Day 2026 on 31 May 2026**. The theme for this year, **"Unmasking the Appeal: Countering Nicotine and Tobacco Addiction,"** is particularly relevant for protecting children and young people from tobacco use and nicotine addiction.

Tobacco use remains one of the leading causes of preventable deaths and diseases in India. Its use among school-going children is a serious public health concern and requires sustained awareness, prevention and enforcement measures within and around educational institutions.

In this context, SEEDS respectfully requests the Department of School Education and Literacy, Government of Jharkhand, to kindly issue necessary directions to all District Education Officers, District Superintendents of Education and concerned educational authorities to observe World No Tobacco Day 2026 across all educational institutions in the State through suitable tobacco control activities, including:

1. Awareness rallies and pledge-taking ceremonies.
2. Special counseling sessions, Essay writing, debate, poster-making, and quiz competitions on the harmful effects of tobacco and nicotine products.
3. .Display of anti-tobacco IEC materials in schools.
4. Strengthening the implementation of Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) guidelines.
5. Other community awareness activities involving students, teachers and parents.

It is further requested that a **Special Enforcement Drive** may also be conducted in and around educational institutions to ensure compliance with the **Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003**, and the relevant provisions of the **COTPA Jharkhand Amendment Act, 2021**, particularly with regard to prohibition of sale of tobacco products within 100 metres of educational institutions, prohibition of tobacco use in public places, restriction on tobacco advertising and

Recd. on 18/5/26
No 1762
For J.E.P.C Ranchi

3316
18/5/26
18/5/26

सचिव कोषांग
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
प्रेषण संख्या 4220
तिथि 14.05.2026

Delhi Office : FLAT # 257, Om Apartment, Sector 14, Pocket-2, Dwarka, New Delhi-110078
Phone : +91-11-28031018, E-mail : seedsdelhi@gmail.com
www.seedsindia.org.in

Scanned with OKEN Scanner

promotion, and prevention of sale of prohibited nicotine-based products. *A draft of the letter may be issued from your end to the districts is attached herewith for your kind perusal.*

The active leadership of the Education Department will greatly strengthen efforts to protect students from tobacco and nicotine addiction and promote healthier educational environments across Jharkhand.

SEEDS will be pleased to provide technical support, within its limited capacity, for effective planning and implementation of these activities. For any further information or assistance, the undersigned may kindly be contacted at seedsjharkhand@gmail.com.

We look forward to your kind support and necessary directions in this regard.

Thanking you,

With regards,

Socio Economic and Educational Development Society
SEEDS
Reg. No. 38786
Ranchi

DEEPAK MISHRA
Executive Director
SEEDS

Scanned with OKEN Scanner